



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
www.ggu.ac.in Ph. No. 07752 - 260021

क. ८३४ / अका. / 2013

बिलासपुर,

दिनांक २२-१०-२०१३

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष / विभागीय अधिकारी,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजन की सूचना बाबत्।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयार्त्तगत आप सभी को अवगत कराना है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वेब पटल पर जारी सूचना में परीक्षा आयोजन हेतु समन्वयक संस्थाओं की सूची में ८० वें नम्बर पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 29 दिसम्बर 2013, रविवार को होना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेब पटल में ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत प्रिंटेड आवेदन को समन्वयक संस्थानों में दिनांक 09.11.2013 तक जमा कराया जाना है। अतः उक्त स्थिति एवं प्राप्त सूचना को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर प्रशासनिक भवन में आवेदन पत्र को जमा कराने हेतु विशेष काउंटर निर्मित किया गया है। विशेष काउंटर प्रशासनिक भवन में स्थित सूचना प्रकोष्ठ (RTI Cell) को काउंटर बनाया गया है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2013 के आवेदक उक्त काउंटर में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। कृपया उक्त की सूचना संबंधितों को प्रदान किये जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु आप सभी को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आदेशानुसार,

सहा.कुलसचिव (अका.)

पृ.क. ८३५ / अका. / 2013
प्रतिलिपि:-

बिलासपुर, दिनांक २२-१०-२०१३

1. कुलपति / सम-कुलपति के सचिव / निज सहायक को कुलपति / सम-कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निज सहायक को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. समन्वयक, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर प्रशासनिक भवन एवं शिक्षण विभाग के सूचना पटल पर चर्चा किये जाने हेतु।
5. प्रभारी, सूचना प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
6. कार्यालय प्रति।

7. किमानाहराह संगठन के मार्ग की छापे
उच्च राज्यका अधिकारी करने हेतु रखना। सहा.कुलसचिव (अका.)